

भारत सरकार  
श्रम और रोजगार मंत्रालय  
राज्य सभा  
तारांकित प्रश्न संख्या- \*381  
गुरुवार, 7 अप्रैल, 2022/17 चैत्र, 1944 (शक)

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

\*381. श्री सुशील कुमार मोदी:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से विभिन्न श्रेणियों के कितने प्रतिष्ठान पंजीकृत हैं और 1 अक्टूबर, 2020 के बाद उनके द्वारा की गई नई भर्तियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी है, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस योजना के अधीन कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई;
- (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास पड़ी विभिन्न श्रेणियों की बिना दावे वाली जमाराशि का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) सरकार बिना दावे की ऐसी निधि में से कितनी धनराशि वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरित कर रही है और कितनी धनराशि अंतरित नहीं की जाएगी; और
- (च) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर  
श्रम और रोजगार मंत्री  
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

\*

“आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना” के संबंध में श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 07-04-2022 के तारांकित प्रश्न संख्या \*381 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत प्रतिष्ठानों और 1 अक्टूबर, 2020 के बाद नई भर्तियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 में दिया गया है।

(ख): 30.03.2022 की स्थिति के अनुसार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों का ब्यौरा अनुबंध-11 में दिया गया है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2021-22 तक, 5180 करोड़ रु. की धनराशि आवंटित की गई है तथा 4387.05 करोड़ रु. का लाभ नए कर्मचारियों के आधार नंबर से जुड़े सार्वभौमिक लेखा संख्या (यूएएन) में जमा कर दिया गया है।

(घ): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में बिना दावे वाली कोई जमाराशि नहीं है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुसार, कुछ खातों को “निष्क्रिय खातों” के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे सभी निष्क्रिय खातों के निश्चित रूप से दावेदार हैं। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, निष्क्रिय खातों में कुल धनराशि 3930.85 करोड़ रु. है।

(ड.) 31.03.2022 को सरकार ने वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में बिना दावे वाली 535.21 करोड़ रु. की धनराशि अंतरित की है।

(च) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूसी) के तहत निधि के उपयोग का ब्यौरा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु अनुबंध-111 में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा के दिनांक 07.04.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या \*381 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

ईपीएफओ के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	प्रतिष्ठान पंजीकृत	नए भर्ती होने वालों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1329	2944
2	आंध्र प्रदेश	57746	355567
3	अरुणाचल प्रदेश	2895	3151
4	असम	31271	74436
5	बिहार	46652	107296
6	चंडीगढ़	17725	147423
7	छत्तीसगढ़	26741	146839
8	दिल्ली	114151	864306
9	गोवा	7028	67256
10	गुजरात	137686	1294508
11	हरियाणा	87320	971664
12	हिमाचल प्रदेश	27904	130618
13	जम्मू और कश्मीर	20332	52503
14	झारखंड	32468	133151
15	कर्नाटक	137864	1637150
16	केरल	46126	235513
17	लद्दाख	450	739
18	मध्य प्रदेश	71450	354792
19	महाराष्ट्र	297684	2809371
20	मणिपुर	1556	2898
21	मेघालय	3237	6983
22	मिजोरम	358	879
23	नागालैंड	822	1410
24	ओडिशा	46675	202415
25	पंजाब	45388	236894
26	राजस्थान	75957	504058
27	सिक्किम	906	8525
28	तमिलनाडु	167390	1699301
29	तेलंगाना	87450	816666
30	त्रिपुरा	2001	7437
31	उत्तर प्रदेश	147790	808858
32	उत्तराखंड	19770	207217
33	पश्चिम बंगाल	98006	589591
	सकल योग	<b>1862128</b>	<b>14482359</b>

राज्य सभा के दिनांक 07.04.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या \*381 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

**एबीआरवाई के तहत लाभार्थियों की संख्या (राज्य-वार) (30.03.2022 तक)**

क्र.सं.	राज्य का नाम	लाभार्थी प्रतिष्ठानों की संख्या	लाभार्थी कर्मचारियों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	35	466
2	आंध्र प्रदेश	3635	147693
3	अरुणाचल प्रदेश	13	130
4	असम	553	16919
5	बिहार	1075	23706
6	चंडीगढ़	1477	59365
7	छत्तीसगढ़	2674	75257
8	दिल्ली	2886	209458
9	गोवा	502	19148
10	गुजरात	14453	597491
11	हरियाणा	7021	363310
12	हिमाचल प्रदेश	1976	77169
13	जम्मू और कश्मीर	815	17426
14	झारखंड	2021	55724
15	कर्नाटक	9741	436700
16	केरल	2399	84821
17	लद्दाख	12	168
18	मध्य प्रदेश	5691	185224
19	महाराष्ट्र	20490	894574
20	मणिपुर	42	921
21	मेघालय	36	1131
22	मिजोरम	15	369
23	नागालैंड	14	220
24	ओडिशा	3796	79610
25	पंजाब	6035	155989
26	राजस्थान	10444	298166
27	सिक्किम	108	3522
28	तमिलनाडु	15099	737204
29	तेलंगाना	4923	259164
30	त्रिपुरा	149	5323
31	उत्तर प्रदेश	11415	389110
32	उत्तराखंड	2223	84651
33	पश्चिम बंगाल	6946	195180
	<b>सकल योग</b>	<b>138714</b>	<b>5475309</b>

राज्य सभा के दिनांक 07.04.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या \*381 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि (एससीडब्ल्यूएफ)

एससीडब्ल्यूएफ से वित्त पोषित योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कुल व्यय नीचे दिया गया है:

एससीडब्ल्यूएफ से किया गया व्यय (रुपये करोड़ में)								
क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग योजना	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग								
1(i).	अन्य कमजोर समूहों के लिए योजना	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>16.00</b>
1(ii).	राष्ट्रीय वयोश्री योजना	0.00	1.50	106.51	0.00	26.50	25.00	<b>159.51</b>
1(iii).	वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन	0.00	0.00	0.00	0.00	27.88	21.31	<b>49.19</b>
1 (iv)	सिल्वर इकॉनॉमी का संवर्द्धन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	<b>20.00</b>
नागरिक उड्डयन मंत्रालय								
2(i).	एएआई हवाई अड्डों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इलेक्ट्रिक रूप से संचालित गोल्फ कार्ट की खरीद	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	<b>0.98</b>
	<b>योग</b>	<b>16.00</b>	<b>1.50</b>	<b>107.49</b>	<b>0.00</b>	<b>54.38</b>	<b>66.31048</b>	<b>245.68</b>